

बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

पत्रांक-विविध-26/2017-...../एम0, पटना, दिनांक.....

प्रेषक,

सुशील कुमार,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

सभी उप निदेशक
सभी सहायक निदेशक
सभी खनिज विकास पदाधिकारी
सभी खान निरीक्षक।

विषय:- बी0एम0एम0सी0, 1972 के नियम-49 के तहत प्रपत्र 'एल' में अनुज्ञप्ति प्रदान करने में बिहार लघु खनिज नियमावली, 2017 के तहत चुने गये खुदरा अनुज्ञप्तिधारियों को प्राथमिकता देने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि बिहार लघु खनिज नियमावली, 2017 जिसपर सम्प्रति उच्च न्यायालय द्वारा स्टे लगा दिया गया है, के तहत खुदरा अनुज्ञप्तिधारियों का चयन लघु खनिज (बालू) के व्यापार हेतु किया था। वर्तमान में लघु खनिज के खुदरा व्यापार हेतु इच्छुक व्यक्ति/एजेंसी को बी0एम0एम0सी0, 1972 के नियम-49 के तहत प्रपत्र 'एल' में अनुज्ञप्ति निर्गत किया जाना है।

अतः अनुरोध है कि बिहार लघु खनिज नियमावली, 2017 के तहत चयनित रिटेलर यदि वर्तमान में लघु खनिज के खुदरा व्यापार हेतु इच्छुक हों एवं तत्संबंधी सभी अर्हताएँ पूरी करते हों, तो उन्हें बी0एम0एम0सी0, 1972 के नियम-49 के तहत प्रपत्र 'एल' में अनुज्ञप्ति निर्गत करने में प्राथमिकता दी जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:-...../एम0 पटना0 दिनांक.....

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव के आप्त सचिव/निदेशक कोषांग/अपर सचिव कोषांग/विशेष कार्य पदाधिकारी कोषांग/उप निदेशक (मु0 कोषांग/सहायक निदेशक (मु0) कोषांग/अवर सचिव कोषांग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:-.....2137...../एम0 पटना0 दिनांक...17.5.18.....

प्रतिलिपि:-आई0टी0 मैनेजर को (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित कर्मियों के कार्यालय को ई-मेल करने हेतु) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

964
17/5/18

17/5/18
सरकार के अवर सचिव